15 गुणा शुल्क देकर दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों को नवीनीकरण से मुक्ति

श्रम विभाग : पंजीकरण के लिए **एकमुश्त दरें तय** बिना कर्मचारियों वाली दुकानों-अधिष्ठानों को पंजीकरण से होगी छूट

राजीव दीक्षित • लखनऊ

दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को श्रम विभाग में अब एक बार ही पंजीकरण कराना होगा। हर पांच साल पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पंजीकरण के लिए कामगार में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से मुक्त रखा जाएगा।

राज्य सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1962 को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान

नियमावली में संशोधन की तैयारी

अधिनियम, 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अभी दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में कराने की व्यवस्था लागू है। कारोबारी सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) के लिए सरकार ने दुकानदारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के मालिकों को राहत देते हुए अब सिर्फ एक ही बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है। अब दुकानदारों और कारोबारियों को पंजीकरण के लिए वर्तमान रजिस्ट्रेशन फीस का 15 गुणा एकमुश्त जमा करना होगा, लेकिन उन्हें हर पांच साल पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। श्रम विभाग ने नियमावली में प्रस्तावित संशोधन के दृष्टिगत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के एकबारगी पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की दरें बीते दिनों अधिसूचित करते हुए जनता से उस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। श्रम विभाग के सूत्रों के अनुसार अधिसूचित दरों को लेकर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई। लिहाजा इन दरों को अंतिम मानते हुए श्रम विभाग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने श्रम विभाग से पूछा था कि एकबारगी पंजीकरण से सरकार को राजस्व का नुकसान तो नहीं होगा। इस पर श्रम विभाग ने जवाब दिया है कि प्रस्तावित व्यवस्था से राजस्व क्षति नहीं होगी।

ऐसे रहेंगी दरें

दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान की श्रेणी - वर्तमान वार्षिक शुल्क (रु.) - एकबारगी पंजीकरण के लिए प्रस्तावित एकमुश्त रजिस्ट्रेशन फीस (रु.)

- बिना कर्मचारी वाली दुकान - 40 - 0
- बिना कर्मचारी वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान - 80 - 0
- एक से पांच कर्मचारी नियोजित करने वाली दुकान - 150 - 2250
- एक से पांच कर्मचारी नियोजित करने वाणिज्यिक अधिष्ठान - 300 - 4500
- छह से 10 कर्मचारी वाली दुकान - 300 - 4500
- छह से 10 कर्मचारी वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान - 400 - 6000
- 11 से 25 कर्मचारियों वाली दुकान - 500 - 7500
- 11 से 25 कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान - 1000 - 15000
- 25 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकान - 1000 - 15000
- 25 से अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान - 2000 - 30000
- रंगशाला/सिनेमाहाल/मनोरंजन घर/बारात घर/अतिथिगृह - 1000 - 15000
- तीन स्टार तक का होटल - 2000 - 30000
- चार या पांच स्टार होटल - 5000 - 75000
- एक से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली पंजीकृत कंपनी का स्वामित्व रखने वाली दुकान या व्यापारिक स्थापन - 1000 - 15000
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान - 2000 - 30000